छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–208024
KALYANPUR, KANPUR-208024

Ref. No.: CSJMU/A.R.SC/ST.CELL/ 590 /2018

Dated :03/07/2019

अतिआवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी

....

....

विषयः– **शैक्षिक सत्र 2019–20 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी दिशानिर्देश ।**

कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं जिला समाज कल्याण कानपुर नगर द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नियमावली जारी की जाती है, कि कम से कम विसंगतियॉ उत्पन्न हो, निर्गत नियमावली को प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारियों को इस आशय के साथ उपलब्ध कराया जाता है कि कम से कम विसंगतियॉ उत्पन्न हो परन्तु विगत कई वर्षो से विभागों द्वारा रूचि न लेने एवं विद्यार्थियों को साम्यक सूचना न देने के कारण प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ विसंगतियॉ उत्पन्न हो जाती है।

अतः शैक्षिक सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारियों को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं जिला समाज कल्याण कानपुर नगर द्वारा जारी नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश प्रदान करना चाहे जो कि निम्नानुसार है–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र दिनॉक 01.07.2019 से 10.10.2019 तक, आनलाइन ही स्वीकार किये जायेगें । विद्यार्थियो द्वारा आनलाइन किये गये आवेदन की हार्ड कापी के साथ समस्त अनुलग्नको के साथ 06 दिवसों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में स्वीकार किये जायेगें । उक्त तिथियों के पश्चात छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें ।
2. **माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक / विभागाध्यक्षों / प्रभारियों को निर्देशित किया जाय कि छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर प्रदर्शित समस्त वर्गो के शासनादेशों / निर्देशों के अनुरूप ही, छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करें ।**
3. माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक / विभागाध्यक्षों / प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के सुगम संचालन हेतु विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विवरण **हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति / आय / निवास प्रमाण पत्र का कमांक, आवेदक द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम का प्रकार (स्ववित्तपोषित / नियमित), आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, खाता संख्या तथा खाता संख्या से आधार नम्बर लिंक होने की अनिवार्यता, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि को ठीक ढंग से परीक्षण करने के उपरान्त ही छात्र के आनलाइन किये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी को छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के लिये अग्रसारित करेगें ।**
4. **जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांक–1156–61 दिनॉक 23.05..2018 द्वारा सूचित किया गया है कि कन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं**